छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा प्रथम सत्र अंक-07

रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 फरवरी, 2019

(माघ 22, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 09 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 12 तारांकित एवं 32 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

01. श्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16,

02. डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18, तथा

03. डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) शेड्यूल्ड बैंक की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2017-18,

पटल पर रखे ।

4. माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा चतुर्थ विधान सभा के सितम्बर, 2018 सत्र में पारित 4 विधेयकों में से पारित सभी विधेयकों पर तथा पंचम विधान सभा के प्रथम चरण जनवरी, 2019 सत्र में पारित 2 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है ।

5. कार्यमंत्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 11 फरवरी, 2019 में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई :-

वित्तीय कार्य	**निर्धारित समय**
वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय का निर्धारण किया गया है :-	

01.	श्री टी.एस.सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री	-	03 घंटे
02.	श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री	-	03 घंटे
03.	श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री	-	03 घंटे
04.	डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री	-	03 घंटे
05.	श्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री	-	03 घंटे
06.	श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	-	03 घंटे
07.	डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन विकास मंत्री	-	03 घंटे
08.	श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री	-	03 घंटे
09.	श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री	-	03 घंटे
10.	श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री	-	03 घंटे
11.	श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री	-	03 घंटे
12.	श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री	-	03 घंटे

विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019	-	30 मिनट

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

6. पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने अंतागढ़ टेप कांड का उल्लेख करते हुये नेताओं को प्रताड़ित किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आपकी स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राहय कर दिया गया है ।

श्री नारायण चंदेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

अध्यक्ष महोदय ने कथन किया कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना में तिथि एवं घटना तिथि का उल्लेख नहीं होने के कारण मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राह्य कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण सूचना हेतु माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल का नाम पुकारा।

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.24 बजे स्थगित की जाकर 12.50 बजे समवेत् हुई।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सभापति महोदय ने कथन किया कि आसंदी से व्यवस्था आ गई । उसके बाद उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। शासन चाहे तो कल वक्तव्य दे सकता है।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल,शिवरतन शर्मा,अजय चन्द्राकर, सदस्य- सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(2) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य - सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह
(2) श्री सत्यनारायण शर्मा
(3) श्री धर्मजीत सिंह
(4) श्री बृजमोहन अग्रवाल
(5) श्री धरमलाल कौशिक

9. सदन को सूचना

सभापति महोदय ने सदन को सूचित किया कि माननीय सम्मानित सदस्यों हेतु प्रजापिता ब्रहमाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांति सरोवर, विधान सभा मार्ग सड्डू द्वारा आज दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दोपहर 1.30 बजे से ब्रहमा भोजन आयोजित है। समस्त सम्माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे भोजन अवकाश हेतु सदन की बैठक स्थगित होने के उपरांत ब्रहमा भोजन में सम्मिलित होवें।

(12.57 से 3.00 बजे तक अंतराल।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री ने कथन किया कि आज आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होनी है, जिन बिन्दुओं का माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं, वह सारी चर्चा करने का अवसर है । संसदीय कार्य मंत्री ने कार्यवाही आगे बढ़ाये जाने का आग्रह किया ।

सभापति महोदय ने कथन किया कि कौल एण्ड शकधर की पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 595 में उल्लेख है कि -सामान्यत: बजट पर चर्चा के दौरान अथवा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्थगन प्रस्तावों के लिये अनुमति नहीं दी जाती है ।

माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को अग्राहय कर दिया है । माननीय सभापति ने कार्यवाही चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया ।

10. वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुये गर्भगृह में आये।)

11. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, ननकीराम कंवर, पुन्नूलाल मोहले, धरमलाल कौशिक, नारायण चंदेल, भीमा मंडावी, रजनीश कुमार सिंह, डा.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री धर्मजीत सिंह, डॉ.रेणु अजीत जोगी, श्री प्रमोद कुमार शर्मा ।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे।

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के निलंबित सदस्य सभा भवन से बाहर गये । भारतीय जनता पार्टी दल के निलंबित सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर नारे लगाये गये ।

12. वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

श्री मोहन मरकाम ।

माननीय सभापति ने निलंबित सदस्यों से सभा से बाहर जाने का आग्रह किया ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर नारे लगाये गये।)

भारतीय जनता पार्टी दल के निलंबित सदस्य गर्भगृह से बाहर गये ।

13. निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय सभापति ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

अपराह्न 3.54 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 12 फरवरी, 2019 (माघ-23, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा